उत्तर प्रदेश शासन
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1
संख्या-27/2021/346/52-1-2021-26(पी.एम.जे.वी.के.)/13टी0सी0-1
लखनऊ: दिनांक 11 फरवरी, 2021

संशोधन-आदेश

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-88/2020/1621/52-1-2020-26(पी.एम.जे.वी.के.)/13टी0सी0-1 दिनांक 28 दिसम्बर, 2020 के प्रस्तर-1 में टंककीय त्रुटिवश अंकित "वित्त विभाग के **शासनादेश दिनांक 18.05.2020 के अनुसार 25 प्रतिशत"** के स्थान पर **"शासनादेश दिनांक 07.04.2020 के अनुसार 50 प्रतिशत"**, **"उसके सापेक्ष बनने वाला राज्यांश रू0 107.665 लाख"** के स्थान पर **"उसके सापेक्ष बनने वाला राज्यांश रू0 107.866 लाख"** तथा सारणी के **कॉलम 6** में अंकित कुल अनुमोदित केन्द्रांश **"रू0 647.20 लाख"** के स्थान पर **"रू0 647.196 लाख"** एवं **कॉलम 7** में अंकित कुल अनुमोदित राज्यांश की धनराशि **"रू0 431.46 लाख"** के स्थान पर **"रू0 431.464 लाख"** पढ़ा जाये।

2- उपरोक्तानुसार उक्त शासनादेश संख्या-88/2020/1621/52-1-2020-26(पी.एम.जे.वी.के.)/13 दिनांक 28 दिसम्बर, 2020 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये, शेष निर्देश/शर्ते यथावत रहेंगी।

(शिवाकान्त द्विवेदी)
विशेष सचिव।

संख्या-346(1)/बावन-1-2021-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रश्नगत डिग्री कालेज के निर्माण में निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही करने हेतु ।
6- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

8- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

9- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, लखनऊ ।

10- निदेशक/प्रबन्ध निदेशक, **उ0प्र0 आवास विकास परिषद्** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत डिग्री कालेज का निर्माण समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

11- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

12- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, **प्रतापगढ़** ।

13- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।

14- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवाकान्त द्विवेदी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in